

भाग— ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना / स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

जनपद रुद्रप्रयाग के विंयोग 0 अगस्त्यमुनि में
जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर
मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है 0 में)	0.390 है 0 0.2275 ^{पु}
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0000 है 0 वन पंचायत भूमि 0.1400 है 0 सिविल सोयम भूमि 0.0875 है 0 आरक्षित भूमि 0.1225 है 0 नाप भूमि भूमि 0.0400 है 0 मलवा निस्तारण नाप भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	0.40 - 0.50
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीबूर वृक्षों की परिणना (संलग्न की जाए)। सिर्चाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी 0 पर परिणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1.25 किमी 0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध हैं।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।	लागू नहीं

- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षेत्र वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षेत्र वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम ७ (xi, xii) ८ और ९ में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग / जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
 - जिला का वन क्षेत्र।
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
 - v ~~३०.२०~~ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक ०५/१०/२०२१

स्थान—रुद्रप्रयाग

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

संलग्न है।

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

२१९६८९, ९१९.३४९ लै.

१५१०.२११ लै

X

१५१०.२११ लै

प्रकरण विकास कार्यों से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम विवेक कुमार (सिंह)
सरकारी ग्राम पंचायत सीरक्षण
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग